

प्रेस नोट थाना तिवारीपुर गोरखपुर दिनांक 09.02.2026

जमीन दिलाने के नाम पर रुपये लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 277/2025 धारा 316(2),351(3),बीएनएस से संबंधित अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र नारद मुनि सिंह निवासी सिधारीपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर वादी को जमीन दिलाने के नाम पर पैसा हड़प लेना तथा वादी द्वारा अपना पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चन्दन सिंह पुत्र नारद मुनि सिंह निवासी सिधारीपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 277/2025 धारा 316(2),351(3),बीएनएस थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 हैदर अली खान थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर
2. का0 आनन्द यादव थाना तिवारीपुर जनपद जनपद गोरखपुर